



INDIA NON JUDICIAL




IN-UP18183332871476W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ARVIND GOEL
A.C.C. Code:UP14000504
Contact:+91 9918390870
Tehsil Compound Ghazibad

Certificate No. : IN-UP18183332871476W
 Certificate Issued Date : 20-Jul-2024 02:54 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14000504/ GHAZIABAD/ UP-GZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1400050432981696330108W
 Purchased by : KAMAL SINGH
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ALKA KUMAR
 Second Party : KAMAL SINGH
 Stamp Duty Paid By : KAMAL SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Place and Date of Issue Below This Line



इकरारनामा महायदायब

में कि श्रीमती अलका कुमार पत्नी श्री हृदेश कुमार निवासी- एल-455, शास्त्री नगर, मेरठ।

आधार कार्ड नं०-4124 3992 9204 पेन कार्ड नं०-BMLPK6441D



-----प्रथम पक्ष।

एवंम

श्री कमल सिंह पुत्र श्री सीताराम निवासी मकान नं०-407, गली नं०-2, सुभाष नगर, मेरठ शहर, मेरठ।

आधार कार्ड नं०-8112 0898 9693 पेन कार्ड नं०-DTPS7874E

-----द्वितीय पक्ष।

विदित हो कि आवासीय फ्लैट नं०-बी-701, टॉवर-बी (सातवां फ्लोर), बिना छत अधिकार रकबा 186.44 वर्गगज यानि 155.89 वर्गमीटर कुल कवर्ड एरिया-124.69 वर्गमीटर स्थित अंसल तनुश्री ग्राम महारौली, गाजियाबाद परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद की मैं प्रथम पक्ष मालिक काबिज स्वामीनी हूं। उक्त सम्पत्ति का सौदा हम प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के साथ अंकन-55,00,000/- रूपय में देना तय पाया है। अतः मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी खुशी व रजामन्दी से एवं शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में ही उक्त सम्पत्ति का सौदा अंकन-55,00,000/- रूपये में कर दिया है, मुझ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से कुल धनराशि में से अंकन-5,00,000/- रूपये डी०डी०नं०-989280 के माध्यम से दिनांक-20/07/2024 2024 के द्वारा द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है तथा बकाया धनराशि अंकन-50,00,000/- रूपये आज दिनांक-20/07/2024 से दिनांक-20/09/2024 तक उक्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री





के समय अदा करेंगे। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति का सौदा अपनी खुशी व रजामन्दी से तय पाया है तथा प्रथम पक्ष ने कुल धनराशि में से बयाना धनराशि द्वितीय पक्ष से वसूल पा लिये है।


1. यह कि इकरानामा तलब सम्पत्ति की निर्धारित मूल्यधनराशी अंकन 55,00,000/- रूपये दोनों पक्षों को मान्य है, इसमें कमी बेशी करने का अधिकार किसी पक्ष को नहीं होगा।
2. यह कि उक्त सम्पत्ति की बकाया धनराशि रजिस्ट्री के समय अदा की जायेगी।
3. यह कि बैनामे का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेंगे और द्वितीय पक्ष बैनामा अपने नाम या अपने नामांकित व्यक्ति के नाम करायें इस बावत प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. यह कि मियाद से पहले हर प्रकार के कानूनी नुक्स को दूर करने की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी जिसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देनी अनिवार्य होगी।
5. यह कि यदि प्रथम पक्ष नियत तिथि पर उक्त सम्पत्ति का बैनामा द्वितीय पक्ष के हक में पंजीकृत नहीं कराता है या किसी अन्य को बेचता है तो उसे बयाना राशि का द्वितीय पक्ष को वापस अदा करनी होगी।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को हस्ताक्षर आदि की जब भी आवश्यकता होगी तो वह सहर्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर आदि करेगा।




[Handwritten Signature]

अतः यह इकरार नामा महायदा बय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

प्रथम पक्ष 
20-7-2024

द्वितीय पक्ष 
20-07-24

गवाह नं०-1 

गवाह नं०-2 A-1-11
20/7/24



This Document is Not Valid Address of
S/No..... Date..... Vended.....
Shri / Smt. / Cum.....
S/o / We / Di.....
R/o.....
Identified by Through by Shri.....

ATTESTED
F. K. SINHA
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
GHAZIABAD